



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-05/2024-1969/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹18,51,947/-(रुपये अठारह लाख एकावन हजार नौ सौ सैतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, औरंगाबाद, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹18,51,947/-(रुपये अठारह लाख एकावन हजार नौ सौ सैतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

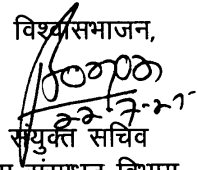
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, औरंगाबाद से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-05/2024-1969/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

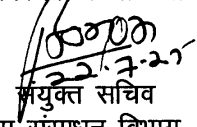
विश्वसभाजन,


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-05/2024-1969

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

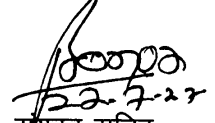

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

M 1

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-05/2024...../ 969

पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, गया/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद /जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, औरंगाबाद /प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औरंगाबाद /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-56/2024-1970/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, LWE कौआकोल, नवादा के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹20,03,493/-(रूपये बीस लाख तीन हजार चार सौ तिरानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, LWE कौआकोल, नवादा के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवादा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹20,03,493/-(रूपये बीस लाख तीन हजार चार सौ तिरानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, LWE कौआकोल, नवादा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, नवादा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-56/2024-08/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विवर/सभाजन,
1000000
22.7.25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-56/2024-1970

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

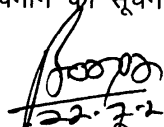
1000000
22.7.25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार पटना।

MA

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-56/2024/1970

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, गया /जिला पदाधिकारी, नवादा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा/
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, नवादा /प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, LWE
कौआकोल, नवादा/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना
शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22.7.25
अयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०— टी-5(यो0)/भवन-69/2024.....1971/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक—22/07/2025

विषय— औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) तुम्बा, रोहतास के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹7,22,258/—(रुपये सात लाख बाइस हजार दो सौ अट्ठावन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) तुम्बा, रोहतास के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹7,22,258/—(रुपये सात लाख बाइस हजार दो सौ अट्ठावन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

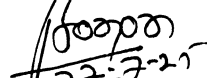
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) तुम्बा, रोहतास होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, रोहतास से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या— टी-5(यो0)/भवन-69/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसिभाजन,



संयुक्त सचिव

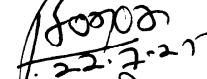
श्रम संसाधन विभाग

बिहार, पटना।

ज्ञापांक— टी-5(यो0)/भवन-69/2024.....1971/

पटना, दिनांक—22/07/2025

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग

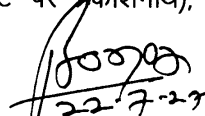
बिहार, पटना।



ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-69/2024.....1971.....

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना /जिला पदाधिकारी, रोहतास /जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, डेहरी ऑन-सोन/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (LWE) तुम्बा, रोहतास/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-73/2024.....1972/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटोरी, समस्तीपुर के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹8,76,901/- (रुपये आठ लाख छियत्तर हजार नौ सौ एक) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटोरी, समस्तीपुर के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दलसिंहसराय, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹8,76,901/- (रुपये आठ लाख छियत्तर हजार नौ सौ एक) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

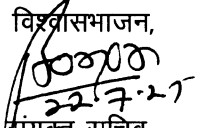
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटोरी, समस्तीपुर होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, समस्तीपुर से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-73/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

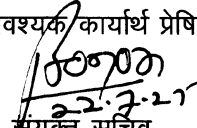
विश्वसभाजन,


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-73/2024.....1972.....

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

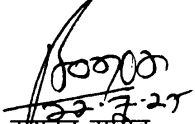

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

MS

ज्ञापक- टी-5(यो0)/भवन-73/2024.....1972

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, दरभंगा /जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर /जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, दलसिंहसराय/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटौरी, समस्तीपुर /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-64/2024-1973/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनमनखी (पूर्णियाँ) के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹5,66,080/- (रुपये पाँच लाख छियासठ हजार अस्सी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनमनखी (पूर्णियाँ) के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ (पश्चिम), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹5,66,080/- (रुपये पाँच लाख छियासठ हजार अस्सी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनमनखी (पूर्णियाँ) होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्णियाँ से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-64/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन,
22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-64/2024-1973

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

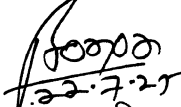
22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

MS

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-64/2024.....1973

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, पूर्णियाँ / जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ / जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ (पश्चिम)/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बनमनखी (पूर्णियाँ)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22.7.25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-01/2024.....1975/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अररिया के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹7,69,064/-(रुपये सात लाख उन्हत्तर हजार चौसठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अररिया के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, अररिया, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹7,69,064/-(रुपये सात लाख उन्हत्तर हजार चौसठ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

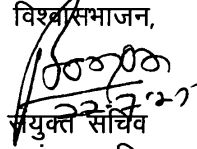
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अररिया होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, अररिया से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-01/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

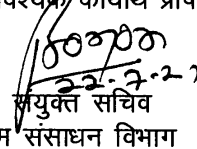
विश्वसभाजन,


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-01/2024.....1975

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

Nd

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-01/2024.....1975 पटना, दिनांक-22/07/2025
प्रतिलिपि:-आयुक्त, पूर्णिया/जिला पदाधिकारी, अररिया /जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया
/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, अररिया /प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
अररिया /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/
आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-23
आयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-82/2024.....1974/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महाराजगंज, सिवान के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹9,07,743 /- (रुपये नौ लाख सात हजार सात सौ तेतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महाराजगंज, सिवान के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, महाराजगंज, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹9,07,743 /- (रुपये नौ लाख सात हजार सात सौ तेतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महाराजगंज, सिवान होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सिवान से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-82/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन,

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-82/2024.....1974

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

MM 6

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-82/2024.....1974 पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, सारण/जिला पदाधिकारी, सिवान /जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान/
विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, महाराजगंज/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
महाराजगंज, सिवान/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना
शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-53/2024.....1976/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हिलसा, नालंदा के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹8,86,286/- (रुपये आठ लाख छियासी हजार दो सौ छियासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हिलसा, नालंदा के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, एकंगरसराय, नालंदा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹8,86,286/- (रुपये आठ लाख छियासी हजार दो सौ छियासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हिलसा, नालंदा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, नालंदा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-53/2024-...08/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसिभाजन,

22-7-25

संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-53/2024.....1976/

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22-7-25
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

झापांक- टी-5(यो0)/भवन-53/2024/976 पटना, दिनांक- 22/03/2025
प्रतिनिधि:-आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालंदा /
विद्युत कार्यालयक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, एकंगारसराय, नालंदा/प्राचाय, औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान, हिलसा, नालंदा/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट
शाखा/योजना शाखा/आईंटी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनाधी), भ्रम संसाधन विभाग को
सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्याएँ प्रेषित ।

अम संसाधन विभाग
विद्युत संचय
22.3.25
विहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-88/2024.....1977/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआ, वैशाली के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹6,04,985/- (रुपये छः लाख चार हजार नौ सौ पचासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआ, वैशाली के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, महुआ, वैशाली, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹6,04,985/- (रुपये छः लाख चार हजार नौ सौ पचासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआ, वैशाली होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, वैशाली से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-88/2024-08/टि0 पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसिभाजन,

22.7.25

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-88/2024.....1977

पटना, दिनांक-22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.7.25

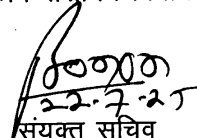
संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

NK &

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-88/2024...../१७७७ पटना, दिनांक- २२/०७/2025

प्रतिलिपि:-आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, वैशाली /जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, महुआ, वैशाली /प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महुआ, वैशाली /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


२२-७-२५
संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।



सं० सं०- टी-5(यो0)/भवन-71/2024...../978/

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)
नियोजन भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, बिहार, पटना-01



प्रेषक,

संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 22/07/2025

विषय:- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के परिसर में ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु कुल राशि ₹5,04,615/- (रुपये पांच लाख चार हजार छः सौ पन्द्रह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन के लिए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० द्वारा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि ₹5,04,615/- (रुपये पांच लाख चार हजार छः सौ पन्द्रह) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उप शीर्ष -0103-नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विपत्र कोड-26-2230031010103 के विषय शीर्ष-0103-13-01 कार्यालय व्यय स्कीम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित राशि से की जाएगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, सहरसा से की जायेगी।

5. प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

6. संचिका संख्या- टी-5(यो0)/भवन-71/2024-09/टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वसभाजन,

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-71/2024...../978/

पटना, दिनांक- 22/07/2025

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

16

ज्ञापांक- टी-5(यो0)/भवन-71/2024...../978 पटना, दिनांक- 22 / 07 / 2025
प्रतिलिपि:-आयुक्त, कोसी/जिला पदाधिकारी, सहरसा /जिला कोषागार पदाधिकारी, सहरसा
/ विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा /प्राचार्य, औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्थान, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा /मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/मासिक व्यय विवरणी
शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/ आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम
संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।